

नम्बर या लॉन्ग
अहकाम जो हा
हुकम की लॉन्ग
में जारी हा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली-बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगुजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या
34/2021

रजू दिनांक
19.01.2021

निर्णय दिनांक
24.06.2024

उनवान

1. सत्यपाल पुत्र दलीपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुतीना तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़।

वादी।

बनाम

1. धीरजसिंह पुत्र दशरथसिंह पुत्र मुसददीलाल
 2. कविता पुत्री दशरथसिंह पुत्र मुसददीलाल
 3. नेहा पुत्री दशरथसिंह पुत्र मुसददीलाल
 4. हेमलता पत्नी सावन पुत्र दशरथसिंह पुत्र मुसददीलाल
 5. बलराज पुत्र सावन पुत्र दशरथसिंह पुत्र मुसददीलाल
 6. मुस्कान पुत्री सावन पुत्र दशरथसिंह पुत्र मुसददीलाल
 7. तानी पुत्री सावन पुत्र दशरथसिंह पुत्र मुसददीलाल
 8. वीरसिंह पुत्र गिरधारीसिंह उर्फ गिरवर
 9. सत्यवीर पुत्र गिरधारीसिंह उर्फ गिरवर
 10. रमेश पुत्र गिरधारीसिंह उर्फ गिरवर
 11. मगेंजदेवी पत्नी गिरवर उर्फ गिरधारीसिंह जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम कुतीना तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़।
 12. उप पंजीयक महोदय नीमराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़
 13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़।
 14. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़।
- असल प्रतिवादीगण
15. उच्छमदेवी पुत्री दलीपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुतीना तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़।
 16. निरंजन पुत्र सुदेशदेवी पुत्री दलीपसिंह
 17. पुष्पा पुत्री सुदेशदेवी पुत्री दलीपसिंह
 18. रिकू पुत्री सुदेशदेवी पुत्री दलीपसिंह जातियान राजपूत निवासीयान भीमसिंह की ढाणी तन राजनोता तह0 पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़।

तरतीवी प्रतिवादीगण।

दावा- इस्तकरारहक, दुरुस्ती इन्द्राज एवं हु0इ0 दवामी

उपस्थिति:

1. श्री मकरध्वज शर्मा -वकील वादी।
2. श्री पीताम्बर - वकील प्रतिवादीगण।

-: निर्णय:-

दिनांक 24.06.2024..

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकुलाय उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख.नं. 24/0.40, 25/0.91 हैक्टैयर वाके ग्राम श्रीयाणी तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़ में स्थित होकर संवत 2042 से पूर्व के ख.नं. 12 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा से व संवत 2020 से पूर्व के ख.नं. 10 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा से कायम हुए हैं जो विवादित आराजी कहलायेगी। नकल सत्यप्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 व 2020 संलग्न है। सजरा खानदान वादी व प्रतिवादीगण अंकित है। आराजी मुतनाजा मिन वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई जायदाद है, इसलिए संवत 1995 में ख.नं. 10 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा व अन्य आराजी मिन वादी व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग निहालसिंह व उनके भाई नत्थूसिंह व अन्य की काशत की आराजी थी जिसमें मिन वादी के बुजुर्ग निहालसिंह अपने हिस्से की जीवनपर्यन्त काविज रहकर काशत करते थे जिनकी मृत्यु संवत 2020 से पूर्व ही हो गई थी इसलिए ख.नं. साविक 10 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा में मिन वादी के बुजुर्ग

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

निहालसिंह के हिस्सा 1/3 की खातेदारी संवत 2015 में उनके विधिक वारिसान मुसद्दीसिंह, गिरधारी सिंह, दलीपसिंह पि0 निहालसिंह के नाम दर्ज कर दी गई व इसी अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त करते रहे तथा संवत 2020 में बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा उक्त साबिक ख.नं. 10 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा का नया ख. नं. 12 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा कायम कर उस पर से बिना किसी बयनामा, व बिना किसी आदेश के गलती व लापरवाही से खिलाफ मौका, खिलाफ कानून हटाकर उसकी खातेदारी बेजा तौर पर रामजीलाल पुत्र निहालसिंह के नाम दर्ज कर दी गई जो गलत खातेदारी संवत 2042 तक रिपिट होती रही लेकिन मौके पर मिन वादी व प्रतिवादीगण के बुजूर्ग मुसद्दीसिंह, गिरधारी सिंह, दलीपसिंह पि0 निहालसिंह संभाग के रूप में काबिज रहकर काश्त करते रहे बाद में रामजीलाल नावल्द फौत हो गया जिनके विधिक वारिसान मिन वादी व प्रतिवादीगण के बुजूर्ग मुसद्दीसिंह, गिरधारी सिंह, दलीपसिंह पि0 निहालसिंह ही थे इसलिए उक्त तीनों के नाम उसकी खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन बंदोबस्त संवत 2042 में विभाग के कर्मचारियों द्वारा साबिक ख. नं. 12 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा के नये ख.नं. 24/0.40, 25/0.91 हैक्टेयर कायम कर उसके 1/3 हिस्से की खातेदारी गलती व लापरवाही से बिना मौके पर कब्जा की जांच किये प्रतिवादीगण के बुजूर्ग मुसद्दीसिंह, गिरधारी सिंह पि0 निहालसिंह के नाम दर्ज कर दी व मिन वादी के बुजूर्ग दलीपसिंह को छोड़ दिया गया जो गलत इन्द्राजात हाल तक रिपिट होता चला आ रहा है। मुसद्दीसिंह, गिरधारी सिंह दोनों फौत हो गये हैं। मुसद्दीसिंह की विरासत का इंतकाल नहीं खुला है, लेकिन उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 है तथा गिरधारीसिंह की विरासत का इंतकाल उनके विधिक वारिसान के नाम खुल गया है जिनके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं0 8,9,10 व 11 है। प्रतिवादीगण ने ख.नं. 25/0.91 हैक्टेयर के अन्य सहखातेदारों से मिल कर उक्त ख.नं. का विभाजन करवा लिया जिसके मुताबिक ख.नं. 25/0.91 हैक्टेयर को हटाया जाकर नया ख.नं. 1531/25/0.2183 है0, 1532/25/0.6917 है0 कायम कर दिये गये जिसमें ख.नं. 1532/25/0.6917 है0 भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में आई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 7 के बुजूर्ग मुसद्दीलाल के नाम से हिस्सा 1516/6917 व प्रतिवादी संख्या 8 लगा0 11 प्रत्येक के नाम से हिस्सा 379/6917 दर्ज किया गया है इसलिए उक्त ख.नं. 1532/25 में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्से में से 1/3 हिस्से की खातेदारी मिन वादी व तर0प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं ठीक इसी प्रकार आराजी ख.नं. 24/0.40 है0 वाके ग्राम श्रीयाणी तह0 नीमराना के हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 7 के बुजूर्ग मुसद्दीलाल पुत्र निहालसिंह के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 8,9,10 व 11 प्रत्येक के नाम से दर्ज खातेदारी 1/24 हिस्सा यानि कुल हिस्सा 1/3 पर से नाम कलमजन किया जा कर उक्त 1/3 हिस्से में से 1/9 हिस्से का खातेदार मिन वादी को व 1/9 का खातेदार तर0प्रतिवादी संख्या 15 को व तर0प्रतिवादी संख्या 16,17,18 प्रत्येक का हिस्सा 1/27 का खातेदार तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 के व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 प्रत्येक को 1/48 के व प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 के खातेदार घोषित किये जावें तथा खसरा नम्बर 1532/25/0.6917 है0 वाके ग्राम श्रीयाणी के हिस्सा 1516/6917 पर से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के बुजूर्ग मुसद्दीलाल पुत्र निहालसिंह का नाम व प्रतिवादी संख्या 8,9,10,11 प्रत्येक का हिस्सा 379/6917 पर से नाम कलमजन किया जाकर उक्त कुल 3032/6917 हिस्से में से 1/9 हिस्से का खातेदार मिन वादी को व 1/9 हिस्से का खातेदार तर0प्रतिवादी संख्या 15 को व तर0प्रतिवादी संख्या 16,17,18 प्रत्येक को हिस्सा 1/27 के तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 के व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/48 के व प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे तथा शेष खातेदार इन्द्राज बदस्तूर रखे जावे अंकित करते हुए वाद वादी प्रत्येक प्रतिवादीगण डिक्री इस्तकरारहक इस अमर की जारी की जावे कि आराजी नीमराना (कोटपूबी नं. 24)/0.40 वाके ग्राम श्रीयाणी तह0 नीमराना के हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के बुजूर्ग मुसद्दीलाल पुत्र निहालसिंह के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 8,9,10,11 प्रत्येक के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/24 यानि

कुल हिस्सा 1/3 पर से नाम कलमजन किया जाकर उक्त 1/3 हिस्से में से 1/9 हिस्से का वादी को व 1/9 हिस्से का तरफ प्रतिवादी संख्या 15 को व तरफ प्रतिवादी संख्या 16,17,18 प्रत्येक को हिस्सा 1/27 के तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 के व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/48 के व प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 के खातेदार घोषित किये जावे तथा ख.नं. 1532/25/0.6917 है 0 वाके ग्राम श्रीयाणी तह 0 नीमराना के हिस्सा 1516/6917 पर से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के बुजुर्ग मुसददीलाल पुत्र निहालसिंह का नाम व प्रतिवादी संख्या 8,9,10,11 प्रत्येक का हिस्सा 379/6917 पर से नाम कलमजन किया जाकर उक्त कुल 3032/6917 हिस्से में से 1/9 हिस्सा का मिन वादी को व 1/9 हिस्से का तरफ प्रतिवादी संख्या 15 को व तरफ प्रतिवादी संख्या 16,17,18 प्रत्येक को हिस्सा 1/27 का तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 का व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 को हिस्सा 1/48 का व प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर रखे जावे एवं डिक्री हु 0 इ 0 दवामी से प्रतिवादी गण को पाबंद किया जावे कि वे आराजी ख.नं हाल 24/0.40, 1532/25/0.6917 है 0 वाके ग्राम श्रीयाणी तह 0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड को हाल गलत इन्द्राज के आधार पर दिगर जगह रहन दय हिब्बा व अन्य किसी प्रकार से मुंतकिल नही करे व ना ही मिन वादी व तरफ प्रतिवादी गण को आराजी मुतनाजा में से हमारे हिस्से की भूमि पर फसल बोने काटने व हर प्रकार के उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की दिक्कत पैदा नही करे मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी गण संख्या 12 व 14 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से बार-बार जवाब दावा के लिए अवसर दिये जाने उपरान्त जवाब प्रस्तुत नही किये जाने की स्थिति में जवाब पैरोकार सरकार का अवसर समाप्त किया गया एवं प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 11 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आ कर अपना इकजाई इकबाल जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली है एवं मुताबिक प्रस्तुत इकबाल जवाब के प्रतिवादी गण ने वादी के वाद के जिम्मनों को स्वीकार करते हुए वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी गण को कोई आपत्ति नही है अंकित करते हुए पेश हो कर शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वादपत्र की तार्ईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2073-76 किता 4 प्रदर्श-1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 किता 2 प्रदर्श-2, नकल जमाबंदी सैटलमेन्ट संवत 2042-61 प्रदर्श-3, नकल जमाबंदी संवत 2033 प्रदर्श-4, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 प्रदर्श-5, नकल जमाबंदी संवत 1955 प्रदर्श-6, नकल जमाबंदी संवत 2011-14 प्रदर्श-7, नकल जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श-8 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए अभिकथन किया की हाल आराजी ख.नं. 24/0.40, 25/0.91 हैक्टैयर वाके ग्राम श्रीयाणी तह 0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड में स्थित होकर संवत 2042 से पूर्व के ख.नं. 12 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा से व संवत 2020 से पूर्व के ख.नं. 10 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा से कायम हुए है जो विवादित आराजी कहलायेगी। नकल सत्यप्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 व 2020 संलग्न है। सजरा खानदान वादी व प्रतिवादी गण अंकित है। आराजी मुतनाजा मिन वादी व प्रतिवादी गण की दादालाई जायदाद है, इसलिए संवत 1995 में ख.नं. 10 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा व अन्य आराजी मिन वादी व प्रतिवादी गण के बुजुर्ग निहालसिंह व उनके भाई नत्थूसिंह व अन्य की संभाग काश्त की आराजी थी जिसमें मिन वादी के बुजुर्ग निहालसिंह अपने हिस्से की भूमि पर जीवनपर्यन्त काबिज रहकर काश्त करते थे 2 बिस्वा व अन्य आराजी मिन वादी व प्रतिवादी गण के बुजुर्ग निहालसिंह के हिस्सा 1/3 की खातेदारी संवत 2015 में उनके विधिक वारिसान मुसददीसिंह, गिरधारी सिंह, दलीपसिंह पि 0 निहालसिंह के नाम दर्ज कर दी गई व इसी अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त करते रहे

उपर्युक्त 3 नकल (कोटपूतली)

संवत् 2020 में बंदोबरत विभाग के कर्मचारियों द्वारा उक्त साविक ख.नं. 10 रकबा 8 बीघा 2 बिरवा का नया ख.नं. 12 रकबा 5 बीघा 2 बिरवा कायम कर उस पर से विना किसी बगनामा व विना किसी आवेश के गलती व लापरवाही से खिलाफ मौका, खिलाफ कायम हटाकर सराकी खातेदारी बेजा तौर पर रामजीलाल पुत्र निहालसिंह के नाम दर्ज कर दी गई जो गलत खातेदारी संवत् 2042 तक रिपिट होती रही लेकिन मौके पर गिन वादी व प्रतिवादीगण के बुजूर्ग मुसद्दीसिंह, गिरधारी सिंह, दलीपसिंह पि० निहालसिंह संगम के रूप में काबिज रहकर काश्त करते रहे बाद में रामजीलाल नावल फौत जो नया जिनके विधिक वारिसान गिन वादी व प्रतिवादीगण के बुजूर्ग मुसद्दीसिंह, गिरधारी सिंह, दलीपसिंह पि० निहालसिंह ही थे इसलिए उक्त तीनों के नाम सराकी खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन बंदोबरत संवत् 2042 में विभाग के कर्मचारियों द्वारा साविक ख.नं. 12 रकबा 5 बीघा 2 बिरवा के नये ख.नं. 24/0.40, 28/0.91 हेक्टर कायम कर सराके 1/3 हिस्से की खातेदारी गलती व लापरवाही से विना मौके पर कब्जा की जांच किये प्रतिवादीगण के बुजूर्ग मुसद्दीसिंह, गिरधारी सिंह पि० निहालसिंह के नाम दर्ज कर दी व गिन वादी के बुजूर्ग दलीपसिंह को छोड़ दिया गया जो गलत इन्दाजात हाल तक रिपिट होता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 ने अपना इकबाल जवाब दावा पेश किया है जिसके मुताबिक वादी के वाद को डिक्री कर दिया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वादी ने अपने वाद की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत् 2073-76 किता 4 प्रदर्श-1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2042 किता 2 प्रदर्श-2, नकल जमाबंदी सैटलमेन्ट संवत् 2042-61 प्रदर्श-3, नकल जमाबंदी संवत् 2033 प्रदर्श-4, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2020 प्रदर्श-5, नकल जमाबंदी संवत् 1955 प्रदर्श-6, नकल जमाबंदी संवत् 2011-14 प्रदर्श-7, नकल जमाबंदी संवत् 2015 प्रदर्श-8 पेश किये जो शामिल पत्रावली है इस प्रकार से वादी ने सुसंगत दस्तावेज के माध्यम से अपने वाद पत्र को पूर्णरूप से साबित कर दिया है अभिकथन करते हुए वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। ठीक इसी प्रकार वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 ने वादी के वाद को डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है का निवेदन करते हुए सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।


आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख.नं. 24/0.41 है० वाके ग्राम श्रीयाणी तह० नीमराना एंव आ.ख.नं. 25/0.91 है० के अन्य सहखातेदारों से मिलकर प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन करवा लिया जाने एवं मुताबिक विभाजन नये ख.नं. 1531/25/0.2183 है० व 1532/25/0.6917 है० कायम होकर ख.नं. 1532/25/0.6917 है० भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में आया जाकर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने की स्थिति में 1532/25/0.6917 है० वाके ग्राम श्रीयाणी तह० नीमराना के वाद के वाद को डिक्री किया जाता है एवं ख.नं. 24/0.40 है० वाके ग्राम श्रीयाणी तह० नीमराना के हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 7 के बुजूर्ग मुसद्दीलाल पुत्र निहालसिंह के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 8,9,10 व 11 प्रत्येक के नाम से दर्ज खातेदारी 1/24 हिस्सा यानि कुल हिस्सा 1/3 पर से नाम कलमजन किया जा कर उक्त 1/3 हिस्से में से 1/9 हिस्से का खातेदार वादी को व 1/9 हिस्से का खातेदार तर० प्रतिवादी संख्या 15 को व तर० प्रतिवादी संख्या 16,17,18 प्रत्येक को हिस्सा 1/27 का खातेदार तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 के व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/48 के व प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 के खातेदार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1532/25/0.6917 है० वाके ग्राम श्रीयाणी के हिस्सा 1516/6917 पर से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के बुजूर्ग मुसद्दीलाल पुत्र निहालसिंह का नाम व प्रतिवादी संख्या 8,9,10,11 प्रत्येक पर से नाम कलमजन किया जाकर उक्त कुल 3032/6917 हिस्से का खातेदार वादी को व 1/9 हिस्से का खातेदार तर० प्रतिवादी संख्या 15 को व तर० प्रतिवादी संख्या 16,17,18 प्रत्येक को हिस्सा 1/27 का खातेदार तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 का खातेदार

उपरोक्त
नीमराना (कोट)

व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/48 का खातेदार व प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खातेदारों के इन्दाज बदस्तूर रहेंगे। इस हेतु प्रतिवादीगण को हर्षोल्लासों से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजीयात के बाबत उनके नाम से हो रहे मूलत इन्दाजात के आधार पर आराजी मुतनाजा को दिगर जगह रहने बय हिस्सा आदि प्रकार से मुंतकिल नहीं करें ना ही वादी व तरफ प्रतिवादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर से हर प्रकार के उपभोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की दिक्कतवाजी पैदा नहीं करें। पाबंद रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमलदशमद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। स्वर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना वहन रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।


(पंकज बटनगर)
उपखण्ड अधिकारी अधिष्ठात्री
जिला कोर्ट, कोटा (कोटा जिला, राजस्थान)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली-बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

रजू दिनांक

पर्चा डिक्री जारी दिनांक

वाद संख्या
34/2021

19.01.2021

24.06.2024

उनवान

1. सत्यपाल पुत्र दलीपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुतीना तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़।

वादी

वनाम

1. धीरजसिंह पुत्र दशरथसिंह पुत्र मुसददीलाल
2. कविता पुत्री दशरथसिंह पुत्र मुसददीलाल
3. नेहा पुत्री दशरथसिंह पुत्र मुसददीलाल
4. हेमलता पत्नी सावन पुत्र दशरथसिंह पुत्र मुसददीलाल
5. बलराज पुत्र सावन पुत्र दशरथसिंह पुत्र मुसददीलाल
6. मुस्कान पुत्री सावन पुत्र दशरथसिंह पुत्र मुसददीलाल
7. तानी पुत्री सावन पुत्र दशरथसिंह पुत्र मुसददीलाल
8. वीरसिंह पुत्र गिरधारीसिंह उर्फ गिरवर
9. सत्यवीर पुत्र गिरधारीसिंह उर्फ गिरवर
10. रमेश पुत्र गिरधारीसिंह उर्फ गिरवर
11. मगेंजदेवी पत्नी गिरवर उर्फ गिरधारीसिंह जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम कुतीना तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़।
12. उप पंजीयक महोदय नीमराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़
13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़।
14. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़।

असल प्रतिवादीगण

15. उच्छमदेवी पुत्री दलीपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुतीना तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़।
16. निरंजन पुत्र सुदेशदेवी पुत्री दलीपसिंह
17. पुष्पा पुत्री सुदेशदेवी पुत्री दलीपसिंह
18. रिकू पुत्री सुदेशदेवी पुत्री दलीपसिंह जातियान राजपूत निवासीयान भीमसिंह की ढाणी तन राजनोता तह0 पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़।

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा- इस्तकरारहक, दुरुस्ती इन्द्राज एवं हु0इ0 दवामी

पर्चा डिक्री

वादी की ओर से श्री मकरध्वज शर्मा अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री पीताम्बर अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.06.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और पर्चा डिक्री दी जाती है कि:-


उपरोक्त विवेचन के आधार पर हाल आराजी ख.नं. 24/0.41 है0 वाके ग्राम श्रीयाणी तह0 नीमराना एवं आ.ख.नं. 25/0.91 है0 के अन्य सहखातेदारों से मिलकर प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन करवा लिया जाने एवं मुताबिक विभाजन नये ख.नं. 1531/25/0.2183 है0 व 1532/25/0.6917 है0 कायम होकर ख.नं. 1532/25/0.6917 है0 भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में आया जाकर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने की स्थिति में 1532/25/0.6917 है0 वाके ग्राम श्रीयाणी तह0 नीमराना के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं ख.नं. 24/0.40 है0 वाके ग्राम श्रीयाणी तह0 नीमराना के हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 7 के बुजूर्ग मुसददीलाल पुत्र श्रीमहालसिंह के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 8,9,10 व 11 प्रत्येक के नाम से दर्ज खातेदारी 1/24 हिस्सा यानि कुल हिस्सा 1/3 पर से नाम कलमजन किया जा कर उक्त 1/3 हिस्से में से 1/9 हिस्से का खातेदार वादी को व 1/9 हिस्से का खातेदार तर0 प्रतिवादी संख्या 15 को व तर0 प्रतिवादी संख्या 16,17,18 प्रत्येक को

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

हिस्सा 1/27 का खातेदार तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 के व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/48 के व प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 के खातेदार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1532/25/0.6917 है 0 वाके ग्राम श्रीयाणी के हिस्सा 1516/6917 पर से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के बुजूर्ग मुसद्दीलाल पुत्र निहालसिंह का नाम व प्रतिवादी संख्या 8,9,10,11 प्रत्येक का हिस्सा 379/6917 पर से नाम कलमजन किया जाकर उक्त कुल 3032/6917 हिस्से मे से 1/9 हिस्से का खातेदार वादी को व 1/9 हिस्से का खातेदार तर0प्रतिवादी संख्या 15 को व तर0प्रतिवादी संख्या 16,17,18 प्रत्येक को हिस्सा 1/27 का खातेदार तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 का खातेदार व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/48 का खातेदार व प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 प्रत्येक को हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खातेदारान के इन्द्राज बदस्तूर रहेगें। इस हेतु प्रवितादीगण को ह0ई0दवामी से पांबद किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजीयात के बाबत उनके नाम से हो रहे गलत इन्द्राजात के आधार पर आराजी मुतनाजा को दिगर जगह रहन बय हिब्बा आदि प्रकार से मुंतकिल नही करे ना ही वादी व तर0प्रतिवादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर से हर प्रकार के उपयोग व उपभोग मे किसी भी प्रकार की दिक्कतबाजी पैदा नही करे। पाबंद रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावें।

उभयपक्षकारान खर्चा अपना- अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज बडगुजर)
उपखण्ड अधिकारी, नैमेराना
जिला कोटपूतला-बहरोड़(राज0)